न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन, बॉसगॉव–गोरखपुर।

मूलवाद संख्या– 500/2019

लीलावती––––बनाम––––––––श्रीमती लक्ष्मी देवी

<u>दिनांक 16.01.2023:–</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर उभयपक्ष जरिए अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 38क–2 नियत है। प्रार्थना–पत्र 38क–2 प्रस्तावित वारिसान वादिनी रामबहादुर वगैरह की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी लीलावती की दौरान विचारण मुकदमा दिनांक 28.12.2020 को मृत्यु हो जाने के कारण उनवान वाद–पत्र में उनके नाम के आगे शब्द 'मृतक' दर्ज कर 1/1– रामबहादुर उम्र–75 वर्ष पुत्र भगेलू, 1/2– संजय उम्र 41 वर्ष पुत्र रामबहादुर, 1/3– रणजीत उम्र 38 वर्ष पुत्र रामबहादुर साकिनान–विमती, तप्पा–चॉदपार, परगना–धुरियापार, तहसील–गोला, जिला–गोरखपुर को प्रतिष्ठापित किया जाए। आधार दावा के पहले तथा पैरा नम्बर–5 के बाद एक मजीद दफा 5अ जोड़े जाने की याचना की गयी है। समर्थन में शपथ–पत्र 39ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना, पत्रावली अवलोकित। प्रार्थना–पत्र समय अन्दर है। प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही कोई नया केस सेटअप हो रहा है। मामले के विधिपूर्ण निस्तारण एवं वाद की बहुलता तथा विविधता से बचने हेतु प्रस्तावित संशोधन न्यायोचित है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 38क–2 स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाना सुनिश्चित किया जाए। पत्रावली दिनांक 27.03.2023 को पेश हो।

–––सिविल जज, जूनियर डिविजन, बॉसगॉव
गोरखपुर।